



MANU GOPE
(NOTARY)
Distt-Gumla

1712
1719

रापत्र-पत्र
=====

मै, महेन्द्र उराँव, , चुन्दा उराँव दोनों पिता जेरकु उराँव ग्राम पाकोट रोड गुमला पो. नशाना वजिला - गुमला झारखण्ड हलफन बयान करते है कि :-

- 1- यह कि मै उक्तपते का निवासी हूँ।
- 2- यह कि हमलोगों का उरीदगी जमीन बंदर छात मै. 80 प्लॉट मै. 1418 रकबा 0.10 ए. दस डीसमिल थाना मै. 59 वाडु मै. -20 जो ग्राम गुमला थाना व जिला गुमला में स्थित है।
- 3- यह कि हमलोग उक्त प्लॉट पर मकान निर्माण कराना चाहते है।
- 4- यह कि क्लॉक नं. - 427 & 3 & झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट - 2001 के तहत नगर परिषद , गुमला हेतु सड़क चौड़ीकरण हेतु 11.69 वर्गमीटर जमीन छोड़कर मकान बनवेंगे। या चहार दिवारी देंगे।

चुन्दा उराँव महेन्द्र उराँव



सत्यापन
=====

मै, महेन्द्र उराँव वो चुन्दा उराँव हलफन तसदीक करते है कि उपर लिखी कुल बयान हमलोगों की जानकारी वो विश्वाससे सही सत्य एवं दुरुस्तीब मो० गुमला।

चुन्दा उराँव महेन्द्र उराँव

वो चुन्दा उराँव

मे रे समक्षा महेन्द्र उराँव/ने रापत्र ग्रहण किये जिनलोगों की पबवाकतु, श्री अधि० गुमला नेकी है।

1712/2019

क्र० 1712/2019 इ.०।

नोटरी गुमला।

MANU GOPE
(NOTARY)
Distt-Gumla

Authorised under section-5
of the Notaries Act 1952
(Act No. 53 of 1952)
in accordance with Notaries rules.